FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

हेमलता शर्मा व अन्य बनाम सिन्धु नगर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग लि0 व अन्य

किस्म मुकदमाः–अपील धारा 75 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 जीसीएमएस संख्या 2024/132

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में पूर्व में ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अपील संख्या 2023/180 उनवानी सिन्धु नगर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग लि0 बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य अपील मे उभयपक्षों को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 14.06.2024 को पारित किया जा चुका है। जिसकी जानकारी उभयपक्षों को समुचित रूप से हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा भी उक्त समिति सिन्धु नगर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग लि0 से पट्टे प्राप्त कर अपने आपको पट्टाधारक बताते हुये अपील प्रस्तुत की है। जबकि सोसायटी सिन्धु नगर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग लि0 समस्त प्लॉटधारकों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी अपील दिनांक 14.06.2024 को गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील Res-Judicata के सिद्धान्तों के आधार पर संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। (डॉ. आरुषी मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	